



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक.....23...../2016

दिनांक 21/01/2016

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों की स्वीकृति विषयक।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मेलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या क्रमांक 10 के पारित संकल्प क्रमांक 1351-10/49/12/2015 द्वारा दीर्घ-विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल की योजना में भवनों के आबंटन हेतु निर्धारित आरक्षण को पुनर्निश्चित किया गया है। अथर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-23/2005/32 नया रायपुर दिनांक 19.01.2016 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पारित संकल्प अनुसार आवासीय योजनाओं में आवासीय भवनों के आबंटन हेतु आरक्षण से संबंधित पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन द्वारा आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार आरक्षण की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

क्रमांक	वर्ग	आरक्षण का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	06%
2	अनुसूचित जमजाति	04%
3	पिछड़ा वर्ग	06%
4	मण्डल के कर्मचारियों के लिए	01%
5	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों	01%
6	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों	02%
7	शारीरिक विकलांगों	03%
8	निराश्रित एवं विधवा महिला हेतु	02%
9	पत्रकार	02%
10	शासकीय कर्मचारी (रायपुर)	05%
11	शासकीय कर्मचार (अन्य नगर)	03%
12	तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी.संक्रमित वर्ग के लिए	02%


यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभाव में होगा।

आयुक्त,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्र. 144 /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-27/16
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2016

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक एफ 4-23/2005/32 नया रायपुर दिनांक 19.01.2016 के अंतर्गत सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, ठडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
10. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
14. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
15. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
17. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर/दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/ रायगढ़/ कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
18. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि संभाग -1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
19. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
20. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


आयुक्त
रायपुर